ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR

JAUNPUR-222003

दिनांक:20/07/2024

27.07.24

सन्दर्भ संख्या:PURVAN/संब/ /2024/9354

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 20/07/2024) से JEEWANDEEP WOMEN COLLEGE OF EDUCATIONA SURYANAGAR GHAZIPUR को UG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	EDUCATION
2	BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	GEOGRAPHY
3	BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	HINDI LANGUAGE
4	BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	HOME SCIENCE
5	BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	PSYCHOLOGY
6	BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	SANSKRIT
7	BACHELOR OF ARTS (2024-2025)	SOCIOLOGY

विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2024-2025 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2024-2025 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

3- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

6- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन सम्बद्धता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

7- . संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

8- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

9- . महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-....., उ०प्र० शासन, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Ghazipur मण्डल,

4. प्रबन्धक, JEEWANDEEP WOMEN COLLEGE OF EDUCATIONA SURYANAGAR GHAZIPUR को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. परीक्षा नियंत्रक,JEEWANDEEP WOMEN COLLEGE OF EDUCATIONA SURYANAGAR GHAZIPUR, Ghazipur

6 कुलसचिव कार्यालय।

7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0)

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./एन.ओ.सी. सेल/2021/ 562
दिनांक : 30.5.21

सेवा में,

प्रबन्धक,
जीवन दीप वोमेन कालेज आफ एजुकेशन,
सूर्यनगर, जखनियाँ, गाजीपुर ।

विषयः– पूर्व से संचालित महाविद्यालय में नये विषयों/पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 16.01.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002 दिनांक–09 अगस्त 2012 एवं शासनादेश संख्या–23/2016/772/सत्तर–2–2016–16(116)/2015 टी0सी0–II दिनांक 22 दिसम्बर 2016 स्तम्भ–1 (छ) के उत्तर स्तम्भ–2 (छ) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति प्रस्तावों पर प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों/शपथपत्रों के क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा विचारोपरान्त जीवन दीप वोमेन कालेज आफ एजुकेशन, सूर्यनगर, जखनियाँ, गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, शिक्षाशास्त्र एवं मनोविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:–

1. प्रबंधक द्वारा दिये गये शपथपत्र के अनुसार महाविद्यालय के खाता संख्या 35 के गाटा संख्या 146 रकबा 0.506 हे0 अर्थात 5060 वर्गमीटर भूमि अंकित है, के सापेक्ष अनापत्ति/निर्वाधन पत्र निर्गत किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रारम्भ करते समय उपलब्ध भूमि वर्तमान में भी उपलब्ध है, और उसी भूमि पर नया पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। भूमि की अन्यथा की स्थिति में दी गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. उक्त विषय/पाठ्यक्रम में प्राचार्य/प्रवक्ताओं एवं स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब यह संस्था शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2000–2(166)/2002, दिनांक–27 सितम्बर 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम/विषय के बाबत किसी लायबिलिटी से इस विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा तथा संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो विश्वविद्यालय से माँग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी विश्वविद्यालय की होगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
6. उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही दिया जायेगा।
7. यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेख/प्रपत्रों/प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान की जा रही है तथा यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबंधक, प्रबंध समिति स्वंय जिम्मेदार होगें।
8. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना प्रदर्शित करेगें।
9. Aishe में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
10. विश्वविद्यालय परीक्षा एवं अन्य शुल्कों का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर 2005 के अनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या –23/2016/772/सत्तर–2– 2016– 16 (116)/2015 टी0सी0–II दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के आलोक में अभिलेखीय साक्ष्य के साथ प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि महाविद्यालय की भूमि की जॉच जिलाधिकारी द्वारा नामित उपजिलाधिकारी /नगर मजिस्ट्रेट द्वारा कर ली गयी है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्चशिक्षा, उच्चशिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. गार्डफाईल/सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव